दिनांक 06.03.2023
प्रेस विज्ञप्ति 06/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गाजीपुर/थाना भांवरकोल

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 06.03.2023 को थाना भांवरकोल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम शेरपुर खुर्द से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विश्वनाथ को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग धारा 386/120बी भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद गाजीपुर के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना भांवरकोल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विश्वनाथ निवासी ग्राम शेरपुर खुर्द थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खतौली

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 06.03.2023 को थाना खतौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नहर पटरी पर मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम

द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त कलीम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खतौली पर पंजीकृत अभियोग धारा 147/148/149/307/395/412 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली पर डकैती व चोरी के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खतौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कलीम निवासी मोहल्ला शराफत कालोनी थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

जनपद फिरोजाबाद/थाना लाइनपार

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 06.03.2023 को थाना लाइनपार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ढोलपुरा पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त भोला उर्फ पुष्पेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रसूलपुर पर पंजीकृत अभियोग धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10

हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना लाइनपार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भोला उर्फ पुष्पेन्द्र निवासी ठार कामराज गुदाऊ थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 06 कण्डक्टर व लगभग 100 किलोग्राम हार्डवेयर फिटिंग का सामान**
- **घटना में प्रयुक्त कार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 06.03.2023 को थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–आलम घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–नईम सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 06 कण्डक्टर व लगभग 100 किलोग्राम हार्डवेयर फिटिंग का सामान, घटना में प्रयुक्त कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि 02/03.03.2023 को थाना शाहपुर क्षेत्र से अज्ञात बदमाशों द्वारा उ0प्र0 पॉवर ट्रान्स मिशन कारपोरेशन लिमिटेड के स्टोर से लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शाहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के

अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद कण्डक्टर, हार्डवेयर फिटिंग सामान उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शाहपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आलम निवासी खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

2–नईम निवासी खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–लूटे गये 06 कण्डक्टर व लगभग 100 किलोग्राम हार्डवेयर फिटिंग का सामान।

2–घटना में प्रयुक्त कार।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद हमीरपुर/थाना राठ

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 05.03.2023 की रात्रि थाना राठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अमगांव तिराहे के पास से घेराबन्दी कर 04 अभियुक्तों 1–राघवेन्द्र 2–अंशुल 3–गंगाचरन उर्फ गंगा 4–प्रदीप को गिरफ्तार किया गया। अन्य एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद हमीरपुर व आस–पास के जनपदों से वाहनों की चोरी करके सस्ते दामों पर बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना राठ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राघवेन्द्र निवासी ग्राम सिंगार थाना गुरूसहाय जनपद झांसी।

2–अंशुल निवासी ग्राम खिस्टोन थाना पीथीपुर म0प्र0।

3–गंगाचरन उर्फ गंगा निवासी ग्राम बड़ा खरका थाना चिकासी जनपद हमीरपुर।

4–प्रदीप निवासी ग्राम बंगरा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर हालपता–उरई स्टैण्ड कस्वा व थाना राठ जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल।

जनपद बदायूं/थाना वजीरगंज

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के 03 ई–रिक्शा, 04 दो पहिया वाहन, 04 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 05.03.2023 को थाना वजीरगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1–दिलीप 2–दिनेश चन्द्र 3–मिलन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के 03 ई–रिक्शा, 04 दो पहिया वाहन, 04 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना वजीरगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा ई–रिक्सा लूट/चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना वजीरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ई–रिक्शा आदि उक्त घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दिलीप निवासी ग्राम सिंगथरा थाना वजीरगंज जनपद बदायूं।

2–दिनेश चन्द्र निवासी मोहल्ला सुदामापुरी गामडी एक्स थाना शास्त्री पार्क नई दिल्ली।

3–मिलन निवासी मोहल्ला लोधी नगला गोटिया थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं।

बरामदगी

1–लूट / चोरी के 03 ई–रिक्शा, 04 दो पहिया वाहन, 04 मोबाइल फोन।

जनपद बुलन्दशहर / थाना अरनिया

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 401 किलो 440 ग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद**

दिनॉकः 05 / 06.03.2023 की रात्रि थाना अरनिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अलीगढ़ बुलन्दशहर रोड से 02 अभियुक्तों 1–बहादुर 2–शमसेर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे / निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 401 किलो 440 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना अरनिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बहादुर निवासी ग्राम भदेसी थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ़।

2–शमसेर निवासी ग्राम बसई बावस थाना सिकन्दरा राऊ जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 401 किलो 440 ग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त ट्रक।

जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **190 ग्राम अवैध मारफीन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 05/06.03.2023 की रात्रि थाना सतरिख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1–सुशील 2–अब्दुल मजीद 3–तनवीरूलहक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 190 ग्राम अवैध मारफीन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना सतरिख पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुशील निवासी ग्राम बरौली मलिक थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

2–अब्दुल मजीद निवासी गुलचप्पा कला अलियाबाग थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी।

3–तनवीरूलहक निवासी रामपुर कटरा थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–190 ग्राम अवैध मारफीन ।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद औरैया/थाना अछल्दा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 05 लाख रूपये कीमत के 01 किलो 50 ग्राम अवैध चरस**
- **घटना में प्रयुक्त कार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 06.03.2023 को थाना अछल्दा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर घसारा नहर पुल से 02 अभियुक्तों 1–साहुल उर्फ सोनू 2–संजय को गिरफ्तार किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 05 लाख रूपये कीमत के 01 किलो 50 ग्राम अवैध चरस, घटना में प्रयुक्त कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना अछल्दा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साहुल उर्फ सोनू निवासी ग्राम चिरूहुलिया थाना फंफूद जनपद औरैया।

2–संजय निवासी ग्राम चिरूहुलिया थाना फंफूद जनपद औरैया।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ 05 लाख रूपये कीमत के 01 किलो 50 ग्राम अवैध चरस।

2–घटना में प्रयुक्त कार ।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

- **जनपद बाराबंकी/थाना टिकैतनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जनपद बाराबंकी द्वारा थाना टिकैतनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2) च भादवि व 5(ड)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मो0 सलीम को 14 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफः दिनांक 04–03–2023 को जिला कारागार वाराणसी से फरार शातिर अपराधी राजू सिंह उर्फ राजू बंगाली गिरफ्तार

दिनांक 06–03–2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 04–03–2023 को फर्जी मुलाकाती मुहर लगाकर जेल कर्मियों को धोखा देकर जिला कारागार वाराणसी से फरार शातिर अपराधी राजू सिंह उर्फ राजू बंगाली को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

राजू सिंह उर्फ राजू बंगाली पुत्र शिबूलाल सिंह निवासी लालपुर, थाना लालपुर पाण्डेयपुर, जनपद वाराणसी।

बरामदगीः–

1. एक अद्द मोबाइल फोन

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक :–

यू0पी0 कालेज गेट भोजूबीर, थाना शिवपुर, जनपद वाराणसी। दिनांक 06–03–2023

विगत दिनांक 04–03–2023 को जनपदीय कारागार वाराणसी से धारा 376 भादवि व पास्को एक्ट में निरूद्ध अपराधी राजू सिंह उर्फ राजू बंगाली उपरोक्त फर्जी तरीके से मुलाकाती मुहर लगाकर अपरान्ह में बंदियों के मुलाकात के दौरान मुलाकातियों के साथ कारागार से फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु एसटीएफ की इकाइयों/टीमों को अभिसूचना संकलन कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के क्रम में निरीक्षक अमित श्रीवास्तव एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में टीम गठित अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि जिला कारागार वाराणसी से फरार अभियुक्त राजू सिंह उर्फ राजू बंगाली उपरोक्त यू0पी0 कालेज के गेट पास मौजूद है, यदि शीघ्रता

की जाये तो पकडा जा सकता है। उक्त सूचना के आधार पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी की टीम तत्काल मौके पर पहुॅच कर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी की गयी।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि वह जब जिला कारागार वाराणसी में बन्द था, तभी उसने जेल से फरार होने की योजना तैयार कर ली थी। वह प्रतिदिन जेल मुलाकातियों को देखता था की जेल से बाहर जाते समय उनको हाथ पर कैसी मोहरें लगाई जाती हैं। प्रतिदिन मुलाकातियों के मोहर को बदल दिया जाता था। वह उस मोहर की नकल कागज पर कर लेता था और उसकी नकली मोहर आलू पर तैयार कर लेता था। दिनांक 04—03—2023 को जो मोहर मुलाकातियों के हाथ पर लगाया जा रहा था वह मोहर उसने पहले से तैयार कर रखी थी और उस मोहर को उसने अपने हाथ पर लगाकर अन्य मुलाकातियों के साथ संतरी को दिखाते हुये जेल से बाहर निकल गया और फरार हो गया। जेल से निकलने के बाद वह लुक—छिप कर रह रहा था और आज वह मुगलसराय से ट्रेन पकड़कर कोलकाता भागने की फिराक में था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—</u>

क0 सं0	**मु0अ0सं 0**	**धारा**	**थाना**	**जनपद / कमिश्नरेट**
1	92 / 22	380 / 411 / 413 / 414 / 457 भादवि	लालपुर पाण्डेयपुर	वाराणसी
2	204 / 22	380 / 411 भादवि	लालपुर पाण्डेयपुर	वाराणसी
3	212 / 22	379 / 411 / 413 / 414 भादवि	लालपुर पाण्डेयपुर	वाराणसी
4	257 / 22	411 / 413 / 414 भादवि	लालपुर पाण्डेयपुर	वाराणसी
5	258 / 22	8 / 20 एनडीपीएस एक्ट	लालपुर पाण्डेयपुर	वाराणसी

6	26/23	376/323/506 भादवि व पास्को एक्ट व 67 ए आईटी एक्ट	लालपुर पाण्डेयपुर	वाराणसी
7	65/23	224 भादवि	लालपुर पाण्डेयपुर	वाराणसी

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना लालपुर पाण्डेयपुर, जनपद वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0 65/23 धारा 224 भादवि में दाखिल कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———